2020 का विधेयक संख्यांक 115.

[दि फैक्टरिंग रेग्यूलेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020

फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम फेक्टर विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2012 का 12

धारा 2 का संशोधन ।

2. फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (क) में, "से किसी फेक्टर के पक्ष में" से प्रारंभ होने वाले और "इसके अंतर्गत समनुदेशन भी है" पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर "किसी लेनदार से शोध्य किसी समनुदेशक प्राप्यों में पूर्णतया या भागत: किसी

अविभक्त हित का किसी फेक्टर को करार द्वारा अंतरण और इसके अंतर्गत वहां ऐसा अंतरण सम्मिलित है, जहां समनुदेशक या लेनदार भारत से बाहर अवस्थित है या स्थापित है।" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ञ) में,—

(अ) "से समनुदेशक के प्राप्तव्यों का" शब्दों से आरंभ होने वाले और "अर्जन का कारबार अभिप्रेत है, किंतु" पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "प्राप्तव्यों के संग्रहण के प्रयोजन के लिए प्रतिफल के लिए समनुदेशक के प्राप्तव्यों के समनुदेशन के अर्जन के माध्यम से या वित्तपोषण के लिए, चाहे ऐसे पारेषण के विरुद्ध उधार देने या अग्रिम देकर या अन्यथा अभिप्रेत है, किंतु" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) उपखंड (i) में, "बैंक" शब्द के पश्चात् "या किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (त) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(त) "प्राप्तव्य" से किसी ऋण देने वाले द्वारा वापस ली जानेवाली राशि अभिप्रेत है और जिसका समनुदेशक को माल या सेवाओं के लिए अभी तक संदाय नहीं किया गया है और इसके अंतर्गत किसी धनराशि का संदाय सम्मिलित है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो किसी टोल या किसी अवसंरचना सुविधा या सेवाओं के उपयोग के लिए संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित है ;

(तक) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ;';

(iv) खंड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(धक) "व्यापार प्राप्तव्य मितिकाटा प्रणाली" से संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 7 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा व्यापार प्राप्तव्यों को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत संदाय प्रणाली अभिप्रेत है ;'। 2007 का 51

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) उपधारा (2) में परंतुक और स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) रिजर्व बैंक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसी रीति में अनुदत्त कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए ।"।

धारा 19 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक फेक्टर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 20 के अधीन स्थापित केंद्रीय रजिस्ट्री के पास अपने पक्ष में प्राप्तव्य पारेषण 2002 का 54

के प्रत्येक संव्यवहार की विशिष्टियों को ऐसे पारेषण के ऐसे समय और तारीख के भीतर, ऐसी रीति में और ऐसी फीस का संदाय करने के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, रजिस्टर करेगा ।";

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) जहां किसी व्यापार प्राप्तव्य का वित्तपोषण किसी व्यापार प्राप्तव्य मितिकाटा प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, वहां संबंधित व्यापार प्राप्तव्य मितिकाटा प्रणाली द्वारा फेक्टर के निमित्त केंद्रीय रजिस्ट्री में उपधारा (1) और उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, फाइल किया जाएगा ।"।

नई धारा 31क का अंत:स्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विनियम बनाने की शक्ति ।

"31क. (1) इस अधिनियम के उपबंधों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम से सुसंगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की रीति ;

(ख) धारा 19 की उपधारा (1क) के अधीन फेक्टर के निमित्त केंद्रीय रजिस्ट्री के पास संव्यवहारों की विशिष्टियां फाइल करने की रीति ;

(ग) कोई अन्य विषय, जो अपेक्षित हों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केंद्रीय सरकार द्वारा उसकी एक प्रति को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"।

धारा 32 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (क) में, "वह प्ररूप और रीति" शब्दों के स्थान पर, "वह समय, जिसके भीतर, प्ररूप और रीति" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

फैक्टर विनियम अधिनियम, 2011, फैक्टरों के प्राप्तव्यों के समनुदेशन का विनियमन और फैक्टर कारबार चलाने वाले फैक्टरों के रजिस्ट्रीकरण तथा प्राप्तव्यों के समनुदेशन की संविदा के पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. यद्यपि उक्त अधिनियम का मुख्य प्रयोजन सभी उद्यमियों, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम हैं, द्वारा संदाय और द्रव्यशीलता में विलंब की समस्याओं को दूर करना था, फिर भी उक्त समस्या बनी हुई है । ये उद्यम विभिन्न खरीददारों को की गई पूर्तियों के लिए उनके बिलों के संदाय में विलंब का अभी भी सामना कर रहे हैं । इसके कारण उनकी कार्यशील पूंजी एक स्थान पर बंध कर रह जाती है तथा ऐसे उद्यमियों द्वारा आगे किए जाने वाले उत्पादन कार्यकलापों में व्यवधान होता है । इसलिए, जनवरी, 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए उक्त सेक्टर की आर्थिक और वित्तीय भरणीयता के लिए दीर्घावधि उपायों का सुझाव देने के लिए श्री यू0 के0 सिन्हा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था ।

3. विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि (i) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों से भिन्न गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां, जिनका मुख्य व्यवसाय फैक्टरिंग है, को भी व्यापार प्राप्तव्य मितिकाटा प्रणाली पर मितिकाटा बीजक के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए, ताकि वित्त प्रदाताओं की परिधि का विस्तार किया जा सके ; (ii) संबंधित व्यापार प्राप्तव्य मितिकाटा प्रणाली को केंद्रीय रजिस्ट्री के पास रजिस्ट्रीकरण प्रभारों को फाइल करने के लिए भी वित्त प्रदाताओं के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे प्रचालन क्षमता आएगी ; और (iii) बीजक के रजिस्ट्रीकरण के लिए कालावधि तथा उस पर प्रभार को चुकाने के लिए दोहरे वित्त पोषण की संभावना को रोकने के लिए कम किया जाना चाहिए ।

4. पूर्वोक्त सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, सरकार ने ऊपर दिए गए अनुसार फैक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 का संशोधन करने का विनिश्चय किया है और वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के बजट संबोधन में भी अपने आशय की घोषणा की है । संशोधनों से महत्वपूर्ण रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की प्रत्यय सुविधा प्राप्त करने के लिए और रास्ते उपलब्ध कराकर विशेषकर व्यापार प्राप्तव्य मितिकाटा प्रणाली के माध्यम से सहायता करने की आशा है । कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में वृद्धि से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम सेक्टर के कारबार में बढ़ौतरी तथा देश में रोजगार को बढ़ावा मिल सकेगा ।

5. फैक्टर विनियम (संशोधन) अधिनियम विधेयक, 2020, अन्य बातों के साथ-साथ,—

(i) "प्रेषण", "फैक्टर कारबार" और "प्राप्तव्यों" की परिभाषाओं का संशोधन करने के लिए है, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुरूप लाया जा सके और यह धारा 2 में "व्यापार प्राप्तव्य मितिकाटा प्रणाली" की नई परिभाषा को भी अंतःस्थापित करने के लिए है ;

(ii) वित्त प्रदाताओं की परिधि को व्यापक करने तथा अन्य गैर बैंककारी वित्त कंपनियों को भी फैक्टर कारबार का जिम्मा लेने के लिए अनुज्ञात करने हेतु धारा 3 का संशोधन करने के लिए तथा व्यापार प्राप्तव्य मितिकाटा प्रणाली मंच में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के बीजकों के मितिकाटा के लिए है ;

(iii) बीजकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए कालावधि को कम करने तथा उस पर प्रभार को चुकाने के लिए धारा 19 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे दोहरे वित्त पोषण की संभावना से बचा जा सके ; तथा उस धारा में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे संबंधित व्यापार प्राप्तव्य मितिकाटा प्रणाली को मंच का उपयोग करने वाले फैक्टरों के निमित्त केंद्रीय रजिस्ट्री में प्रभार रजिस्टर करने के लिए अनुज्ञात कर सके ;

(iv) नई धारा 31क का अंतःस्थापन करने के लिए है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को फैक्टर कारबार के संबंध में विनियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
3 सितम्बर, 2020

निर्मला सीतारामन

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंधों में भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

विधेयक का खंड 5, फैक्टर विनियम अधिनियम, 2011 में एक नई धारा 31क अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को (क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की रीति ; (ख) फेक्टर के निमित्त केंद्रीय रजिस्ट्री के पास संव्यवहारों की विशिष्टियां फाइल करने की रीति ; और (ग) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित हो, से संबंधित विषयों के संबंध में विनियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 6, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (क) का संशोधन करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को, उस समय, जिसके भीतर प्रत्येक फैक्टर केंद्रीय रजिस्ट्री के पास प्राप्तव्यों के समनुदेशन के प्रत्येक संव्यवहार की विशिष्टियों को रजिस्टर करेगा, का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है ।

वे विषय, जिनके संबंध में नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं तथा विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

फेक्टर विनियमन अधिनियम ,2011 (2012 का अधिनियम संख्यांक 12) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में,जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो ,—

(क) "समनुदेशन" से किसी फेक्टर के पक्ष में किसी देनदार से शोध्य किसी प्राप्तव्य में किसी समनुदेशक के अविभाजित हित का करार द्वारा अंतरण अभिप्रेत है और जहां या तो समनुदेशक या देनदार भारत के बाहर अवस्थित या स्थापित हैवहां इसके अंतर्गत , समनुदेशन भी है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिएकिसी प्राप्तव्य में किसी समनुदेशक के , अविभाजित हित के अन्तर्गत किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था द्वारा उधारों और अग्रिमों या अन्य बाध्यताओं के लिए प्रतिभूति के रूप में प्राप्तव्यों के अधिकारों का सृजन नहीं ;आएगा

* * * * *

(ञ) "फेक्टर कारबार" से समनुदेशक के प्राप्तव्यों कापोषण -ऐसे प्राप्तव्यों या वित्त , चाहे किन्हीं प्राप्तव्यों पर प्रतिभूति हित के प्रति उधार या ,के समनुदेशन की स्वीकृति द्वारा किन्तु इसके अंतर्गत ,अर्जन का कारबार अभिप्रेत है ,अग्रिम देने के रूप में या अन्यथा निम्नलिखित नहीं हैं—

(i) किसी बैंक द्वारा कारबार के अपने साधारण अनुक्रम में प्राप्तव्यों की प्रतिभूति मद्दे उपलब्ध कराई गई प्रत्यय सुविधाएं;

* * * * *

(त) "प्राप्तव्य" से किसी संविदा केजिसके अंतर्गत वहां कोई अंतरराष्ट्रीय संविदा , जहां या तो समनुदेशक या ऋणी या समुनेदेशिती भारत के बाहर किसी राज्य में ,भी है किसी मुद्रा राशि के संदाय के प्रति किसी व्यक्ति ,अवस्थित है या स्थापित किया जाता है के किसी अधिकार में सभी या उसके भागरूप या अविभाजित हित अभिप्रेत हैचाहे ऐसा , ,भावी ,अधिकार किसी अवसंरचना सुविधा या सेवाओं के उपयोग से उद्भूत विद्यमान ,सशर्त या समाश्रित है और इसके अंतर्गत उसके लिए पथकर या किसी अन्य राशि ,प्रोद्भावी के संदाय की अपेक ,चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो्षा करने वाला कोई ठहराव भी है;

* * * * *

अध्याय 2

फेक्टरों का रजिस्ट्रीकरण

फेक्टरों का रजिस्ट्रीकरण ।

3. (1) * * * *

(2) प्रत्येक फेक्टर रजिस्ट्रीकरण ,के लिए रिजर्व बैंक को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में ,

:आवेदन करेगा ,जो वह विनिर्दिष्ट करे

परंतु गैरबैंककारी वित्तीय कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत और इस अधिनियम के प्रारंभ पर - विद्यमान तथा ऐसे प्रारंभ के पूर्व अपने प्रधान कारबार के रूप में फेक्टर कारबारमें लगी कोई कंपनीफेक्टर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन ऐसे प्रारंभ से छह मास की , अवधि के अवसान के पूर्व करेगी और उपधारा(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब तक उसको रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं कर दिया जाता है या रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन को नामंजूर किए जाने की उसको संसूचना नहीं दे दी जाती हैतब तक फेक्टर कारबार को जारी रख , सकेगी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि फेक्टर कारबार में लगी किसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी को अपने-"प्रधान कारबार" के रूप में फेक्टर कारबार में लगा हुआ माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती , है:अर्थात् ,—

(क) यदि फेक्टर कारबार में उसकी वित्तीय आस्तियां उसकी कुल आस्तियों के पचास प्रतिशत या ऐसे प्रतिशत सेजो रिजर्व बैंक द्वारा नियत किया जा ,ए और ;अधिक हैं ,

(ख) यदि फेक्टर कारबार से उसकी आय सकल आय के पचास प्रतिशत या ऐसे प्रतिशत से जो रिजर्व बैंक द्वारा नियत किया जाएअधिक हैं । ,

* * * * *

(4) विद्यमान गैर रिजर्व बैंक ,बैंककारी वित्तीय कंपनी की दशा में-किसी फेक्टर के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र नए सिरे से जारी कर सकेगाबैंककारी वित्तीय कंपनी का मूल -यदि गैर , कारबार फेक्टर कारबार का है ।

* * * * *

अध्याय 5

समनुदेशनों का रजिस्ट्रीकरण

प्राप्तव्य संव्यवहारों के कतिपय समनुदेशनों का रजिस्ट्रीकरण ।

19. (1) प्रत्येक फेक्टर रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए उसके पक्ष में प्राप्तव्यों के समनुदेशन के प्रत्येक संव्यवहार की विशिष्टियांवित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और , पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम2002 की धारा 20 के अधीन गठित की जाने वाली केंद्रीय रजिस्ट्री के पासऐसे समनुदेशन की तारीख से या ऐसी रजिस्ट्री की ,यथास्थिति , ऐसी रीति में और ऐसी फीस का संदाय ,स्थापना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल करेगा । ,जो इस निमित्त विहित की जाए ,करने के अधीन रहते हुए

2002 का 54

स्पष्टीकरण—प्राप्तव्यों के समनुदेशन के प्रत्येक संव्यवहार की विशिष्टियों को केंद्रीय रजिस्ट्री के पास फाइल करने के प्रयोजन के लिए प्राप्तव्यों को विनिर्दिष्ट रूप से या साधारण रूप से देनदार या उस अवधि के संदर्भ में या किसी ,जिससे वे संबंधित है ,अन्य ऐसे सामान्य प्रकार सेवर्णित किया जा सकेगा । ,जिससे ऐसे प्राप्तव्यों की पहचान की जा सकती है ,

* * * * *

नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की

32. (1) * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिनाऐसे , शक्ति ।
:अर्थात् ,नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे—

(क) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा ,19 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्तव्यों के समनुदेशन के संव्यवहारों को किसी फेक्टर के पक्ष में फाइल किया जाएगा और ऐसे संव्यवहार को फाइल करने के लिए फीस ;

* * * * *